

झारखण्ड सरकार  
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 13.04.2015

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3342 / निदेशक, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती पूजा सिंघल, भा.प्र.से. (झा:2000) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें विशेष सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3343 /अपर सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुलसे बखला, भा.प्र.से. (झा:2001) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3344 /निदेशक, नगरीय प्रशासन, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रबंध निदेशक, विभरेज कॉरपोरेशन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3345 / मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3346 /अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3347 /उपायुक्त, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री वर्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रशासक, झारखण्ड सहकारिता बैंक लिमिटेड, राँची एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड सहकारिता बैंक लिमिटेड, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।





संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3348 /उपायुक्त, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री के०के० दास, भा.प्र.से. (झा:2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3349 /निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री बालमुकुन्द झा, भा.प्र.से. (झा:2003) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3350 / उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन प्रसाद सिंह, भा.प्र.से. (झा:2003) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक, नगरीय प्रशासन, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, राज्य शहरी विकास एजेन्सी (SUDA) झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3351 /अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री के० रविकुमार, भा.प्र.से. (झा:2004) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3352 /निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री ए० मुथु कुमार, भा.प्र.से. (झा:2009) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3353 /उपायुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से. (झा:2009) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 3354 /पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनोज कुमार, (नवप्रोन्नत) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत बोकारो जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
13-4-15

(आभा काशी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2013 का० - 3354 / राँची, दिनांक 13.04.2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
13-4-15  
सरकार के अपर सचिव।